

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
------------------------	--	--

13/02/2020

प्रार्थी/वादी/अपीलाट के वकील श्री जगदीश ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 88, 188 RTA-1 सुप्रीम कोर्ट 6 व 8 दि. 31/12/2019-8th. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेरपोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/08/2020 को पेश हो।

ds

05/08/2020

पत्रावली आज वादी वकील के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। वादी ने प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विद्ने कले काबल पेश कर निवेदन किया कि पञ्चकारों के बीच जोंक के मॉजिज लोगों ने राजीनामा करवा दिया है। भविष्य में कोई विवाद नहीं रहे इस कारण वाद इसी स्तर पर विद्ने किया जावे।

न्यायद्वैत में वादी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। चूंकि पञ्चकारों ने राजीनामा हो गया तथा वाद आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वाद में आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाना वाद विद्ने किया जाता है। (कारण प्रमाण सुमा होना सम्बन्धित पत्र ही संपूर्ण से मफ हो।)

नि. देरजराव

पञ्चकारों के बीच जोंक के मॉजिज लोगों ने राजीनामा करवा दिया है। भविष्य में कोई विवाद नहीं रहे इस कारण वाद इसी स्तर पर विद्ने किया जावे।

अ. कलक्टर
चौहटन

